

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय

:: संशोधित आदेश ::

भोपाल दिनांक 28-05-2019

क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1):: राज्य शासन एतद् द्वारा "मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना" में विभागीय आदेश 05.06.2018 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

कंडिका-3.5 को विलोपित करते हुए निम्नानुसार कंडिका प्रस्थापित की जाती है:-

राज्य शासन के समस्त शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों में संचालित समस्त ग्रेजुएशन प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम, इयूल डिग्री कोर्स (जिसमें मास्टर डिग्री के साथ बैचलर डिग्री भी सम्मिलित है) एवं पोलिटेनिक महाविद्यालयों में संचालित समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (12वीं परीक्षा के आधार पर प्रवेश) को योजना में अंतर्गत शामिल किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(डॉ. एम. आर. धाकड़)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तक. शिक्षा, कौ. वि. एवं रोज. विभाग

भोपाल दिनांक 28-05-2019


पृ.क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1)

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय।

5. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय।
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा/आयुष/किसान कल्याण तथा कृषि विकास/पशुपालन विभाग।
7. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग।
8. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
9. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
10. संचालक, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
11. आयुक्त, कोष एवं लेखा भोपाल।
12. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
13. स्टाफ पंजी

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तक. शिक्षा, कौ. वि. एवं रोज. विभाग